Office of the District Basic Education Officer
BUDAUN

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **HARBILAS GOYAL INTERNATIONAL SCHOOL,OPPOSITE MANDI SAMITI UJHANI** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to HARBILAS GOYAL INTERNATIONAL SCHOOL is **BUD09193020869.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:12-07-2023To:12-07-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Primary School(1 to 5)
5.Recognition No.	BUD09193020869

DATE:- 12-07-2023

PLACE:- BUDAUN

District Basic Education Officer

Signature valid

Digitally signed by [illegible]
Date: 2023.07.12 17:13:14
Reason: For Digital Signature
Location: BUDAUN

Digitally signed by KARAN THAREJA
Date: 2024.06.30 12:13:50 +05:30
Reason: reason
Location: location

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

हर बिलास गोयल पू०मा०विद्दयालय उझानी

पत्रांक: शि०स०/ 10623 /98-99 दिनांक 23.3.99

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या:646/15-6-97-18(7)/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारी की जाँच आख्या एवं संस्तुति तथा मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की अस्थाई नवीन मान्यता, आदेश निर्गत होने की तिथि से छात्र/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में प्रदान की जाती है । प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है । शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद अनुमन्य होंगे ।

1- प्रधानाध्यापक-एक पद 2- सहायक अध्यापक-4 पद (त्रिभाषा-एक पद , विज्ञान -एक पद सहित) 3- लिपिक-एक पद
4- चतुर्थश्रेणी-एक पद (कुल सात पद)

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/विज्ञान/प्रसार/क्राफ्ट/शारीरिक शिक्षा के अध्यापक सम्मिलित होंगे । उक्त पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमानुसार जुलाई 1999 में करें । तथा इस कार्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करें । नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही विभागीय सुविधाएं देय होगी । शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार विभाग को होगा ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

पृष्ठांकन संख्या: शि०स०/ /98-99 दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० इलाहाबाद ।
3- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली ।
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी बदायूँ/जिला पिछडावर्ग अधिकारी, बदायूँ
6- जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ...

Scanned with CamScanner

कार्यालयः सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।

पत्रॉक–बेसिक/ 675-76 /2024–25 दिनॉक–22-5-2024

प्रबन्ध समिति,
हरविलास गोयल चैरेटेबिल ट्रस्ट,
उझानी, बदायूँ।

विषय–विद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली के पत्र संख्या–बा0लि0(प0)/मान्यता/1773/2024–25 दिनांक–16.05.2024 के द्वारा हरविलास गोयल पूर्व माध्यमिक विद्यालय उझानी के स्थान पर हरविलास गोयल इण्टरनेशनल स्कूल कर दिये जाने के सम्बन्ध में हरविलास विलास गोयल चैरेटेबिल ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही दिनॉक–25.03.2023 की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय नाम परिवर्तन हेतु संस्तुति की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में सूच्य है कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या–बे0शि0प0/सामान्य(5)/24454–532/94–95 दिनॉक–25.03.1995 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नाम परिवर्तन हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को अधिकृत किया गया है।

तदानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ द्वारा आपके विद्यालय के नाम परिवर्तन हेतु प्रदत्त संस्तुति के आलोक में हरविलास गोयल पूर्व माध्यमिक विद्यालय उझानी, बदायूँ के स्थान पर विद्यालय का प्रचलन हरविलास गोयल इण्टरनेशनल स्कूल, उझानी, बदायूँ नाम से किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि विद्यालय को मान्यता सम्बन्धी प्रदत्त आदेश एवं विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में आर0टी0ई0 2009 में विद्यमान शर्तो तथा यथा–संशोधित नियमों का विधिवत् अनुपालन करना अनिवार्य होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार के तथ्य गोपन एवं कूटरचना की स्थिति के संज्ञानित होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी तथा विद्यालय प्रबंधतंत्र के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा। जिसके लिए विद्यालय का प्रबंधतंत्र पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

(विनय कुमार)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
तृतीय मण्डल, बरेली।

पृ0सं0–बेसिक/ /2024–25 दिनॉकित।

प्रतिलिपि–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
तृतीय मण्डल, बरेली।